न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 20/34

श्रीमती बादाम बाई पत्नी श्री भवानीशंकर आयु 65 वर्ष जाति मेघवाल निवासी, ग्राम मोडक तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री पंकज शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम चारियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 75/120 की 0.65 हैक्टर 6500 वर्गमीटर रोड की तरफ कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन हेतु दिनांक 06.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थी द्वारा अदेशानुसार संपरिवर्तन पर देय प्रीमियम राशि 57,308/– दिनांक 25.01.2017 को जरिये चालान जमा करा दिये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.06.2017 के द्वारा उक्त आवेदन पत्र खारिज कर दिया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी आबादी से 01 किलोमीटर है और नियमानुसार दूरी

1.5 किलोमीटर होना आवश्यक है । जबकि वास्तविकता में संपरिवर्तित योग्य भूमि आबादी से 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया पारिवारिक परेशानियों एवं स्वयं की बीमारी के कारण न्यायालय नहीं जा सकी और उसके अधिवक्ता ने भी उसे प्रार्थना पत्र के खारिज होने की जानकारी नहीं दी । उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.01.2020 को प्रार्थिया के उपखण्ड न्यायालय में जानकारी करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने चारियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 75/120 की 0.65 हैक्टर अराजी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने बाबत् दिनांक 06.12.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया था और समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थी । प्रीमियम राशि 57,308/– रूपये जरिये चालान दिनांक 25.01.2017 को जमा करवा दी थी । दिनांक 15.06.2017 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दस्तावेजों पर गौर किये बिना आवेदन पत्र यह कथन करते हुए खारिज किया है कि आराजी आबादी से एक किलोमीटर दूर है जबकि नियमानुसार 1.5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए । वास्तव में आराजी आबादी से 1.5 किलोमीटर से अधिक दूर है । अपीलान्ट स्टोन कटिंग और पोलिग का उद्योग लगाना चाहती है जो कि प्रतिबन्धित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.01.2020 को हुई जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी आबादी से एक किलोमीटर दूर है जबकि नियमानुसार 1.5 किलोमीटर दूर होने पर ही संपरिवर्तन किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय

मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा भूमि के संपरिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2016 को पेश किया गया था । पत्रावली पर असल चालान की प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार राशि 57,308/– रूपये दिनांक 25.01.2017 को जमा करवाये गये हैं । दिनांक 15.06.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को यह कथन करते हुए खारिज किया गया है कि आबादी से दूरी एक किलोमीटर है जबकि 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए परन्तु इस आदेश को पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा